पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-2707
दिनांक– 17.11.2025

लखनऊ कमिश्नरेट के अन्तर्गत थाना- पारा क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से अग्रिम 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 139(22)/2025 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित **विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन कमिश्नरेट लखनऊ श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुये विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक- 17.11.2025 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से अग्रिम 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	वाद सं0	नाम पता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				जिला बदर की अवधि
			क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
पारा	139(22)/2025	हर्ष उर्फ अनुराग जायसवाल उम्र 20 वर्ष पुत्र स्व0 वासू उर्फ वाशु उर्फ बासू जायसवाल निवासी म0नं0 83/7 पुरानी काशीराम कालोनी थाना पारा, लखनऊ।	1	328/2023	323/504/506 IPC	पारा	06 माह
			2	88/2024	147/323/504/506 IPC	पारा	
			3	527/2024	352/115(2)/324(4)/351(3) BNS	पारा	
			4	538/2024	191(2)/191(3)/190/115(2)/351(3)/117(2)/309(6)/109(1) BNS	पारा	
			5	649/2024	189(2)/152/125/326(F)/351(3) BNS	पारा	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-2708
दिनांक– 17.11.2025

मा0 न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 गोवध निवारण संशोधन अधिनियम 2020 की घटना में प्रयुक्त एक अदद वाहन सं0 UP 22 AT 4125 (DCM) को राज्य के पक्ष में अधिहरण किये जाने का पारित किया गया आदेश-

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

थाना काकोरी, लखनऊ द्वारा इस आशय से आख्या प्रस्तुत की गयी, कि वाहन सं0 UP 22 AT 4125 (DCM), जिसमें कुल 18 राशि गोवंश (13 गाय व 05 सांड़) बुरी तरह ठूंस-ठूंस कर भरे गये थे, जिनके हाथ पैर बंधे थे तथा बुरी तरह हॉफ रहे थे और मुंह से झाग निकल रहे थे। गोवंशों को वध हेतु क्रूरता पूर्वक लादकर जनपद सीवान, बिहार प्रान्त ले जाया जा रहा था।

उक्त वाहन व गोवंशीय पशुओं को कब्जा पुलिस में लेकर पशुओं की रस्सी ढीली करके पानी आदि की व्यवस्था कर पिलाया गया तथा वाहन में सवार तीन व्यक्तियों 1. नईम पुत्र अहमद हुसैन निवासी पीपली नायक थाना टांडा जनपद रामपुर 2. मुनव्वर पुत्र स्व0 अनवर निवासी खैरहना थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली 3. इब्राहिम पुत्र मो0 इस्माइल निवासी केतारपुर थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण द्वारा बताया गया, कि वह उक्त गोवंशीय पशुओं को वध हेतु जनपद सीवान, बिहार प्रान्त लेकर जा रहे थे, जिसके सम्बन्ध में थाना काकोरी, लखनऊ पर मु0अ0सं0 137/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया।

विवेचना के मध्य संकलित साक्ष्य से गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रूरता अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर,उक्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण (Confiscate)किये जाने हेतु न्यायालय से याचना की गयी।

न्यायालय द्वारा नोटिस के माध्यम से वाहन स्वामी को अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर दिया गया, जिस पर वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाहन UP 22 AT 4125 (DCM) को वाहन स्वामी के पक्ष में रिलीज किये जाने हेतु तथ्य प्रस्तुत किये गये तथा राज्य की ओर से **विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन, श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से उक्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण किया जाना उचित बताया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से संतुष्ट होकर आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में उक्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण (Confiscate) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2706
दिनांक- 17.11.2025

जोन- पूर्वी / थाना-गाजीपुर

- क्राइम/सर्विलांस टीम पूर्वी जोन व थाना गाजीपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चेन स्नेचरों/लुटेरे अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- अभि0गण के कब्जे से छीनी गयी चेन पीली धातु व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11.10.25 को वादी मुकदमा श्री आयुष जैन पुत्र श्री अरविन्द कुमार जैन निवासी 43 प्रकाशलोक विस्तार सेक्टर-23 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित किया कि दिनांक 07.10.2025 को उनकी माता जी श्रीमती सरिता जैन कुछ सामान लेने हेतु आम्रपाली चौराहा गई हुई थी। वापस आते समय गली में उनके घर के पास पीछे से अंजान व्यक्ति आया और उनकी सोने की चेन खींचकर अपने साथी जो मोटरसाइकिल से था, उसके साथ-बैठकर फरार हो गया। वादी मुकदमा के उपरोक्त विषयक प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 350/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना गाजीपुर लखनऊ बनाम अज्ञात पंजीकृत कर माल व मुल्जिमान की तलाश प्रारम्भ की गयी।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम तत्काल टीमों का गठन किया गया जिसमें क्राइम/सर्विलांस टीम पूर्वी जोन को भी लगाया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आस पास के सीसीटीवी फूटेज आदि चेक किये तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ व संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही थी कि इसी क्रम में प्राप्त सीसीटीवी फूटेज/संदिग्ध व्यक्तियों से की गयी पूछताछ व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर गठित पुलिस टीम द्वारा कल दिनांक 16.11.2025 को अयोध्या रोड पालिटेक्निक चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि एक बिना नम्बर प्लेट की स्प्लेन्डर मोटरसाईकिल से दो लड़के बिना हेलमेट लगाये मुंशी पुलिया की तरफ से स्पीड से आते हुये दिखाइ दिये। पुलिस टीम को चेकिंग करता हुआ देखकर वापस पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किये जिससे उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गयी। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा उक्त दोनो लड़को को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में दोनों ने अपना नाम शिवम सिंह पुत्र जयमेंद्र सिंह उम्र 30 वर्ष मूल नि० ग्राम व पोस्ट बरहा थाना खीरो जनपद रायबरेली व पिन्टू यादव पुत्र स्व0 बैजनाथ यादव निवासी ग्राम बरेठी पोस्ट गदिया थाना देवा जनपद बाराबंकी उम्र करीब 21 वर्ष बताया। अभि0गण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित छीनी गयी चेन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस रंग ब्लैक-ग्रे (बिना नम्बर प्लेट) चेचिस नं0 MBLHAW215PHD25945 बरामद हुई। ई-चालान ऐप पर चेचिस न0 डालकर वाहन का विवरण चेक किया गया तो वाहन का रजि0 नं0 UP32NT8832 है।

अभियुक्तो के कब्जे से बरामद चेन के आधार पर दोनो अभियुक्तो के विरूद्ध धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। आवश्यक विधिक कार्यवाही अभि0गण की विरूद्ध की जा रही है।

02-अभि0 गण से की गयी पूछताछ का विवरण

पकड़े गये दोनो अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि करीब 01 माह पहले हम दोनो ने आम्रपाली चौराहे के पास शाम के समय करीब 05.30 से 06.00 बजे एक महिला जो एक बच्चे के साथ जा रही थी उसके पीछे से जाकर गली के अन्दर की रोड़ से महिला के गले से झपट्टा मारकर चेन खीचकर इसी मोटरसाइकिल से भाग गये थे। छीनी गयी चेन के बारे मे पूछा गया तो बताया कि जो चेन हमलोगो ने छीनी थी वह चेन हम लोग बेचने के लिये लखनऊ आये थे परन्तु बेच नही पाये थे, वापस बाराबंकी जा रहे थे कि आपलोगो ने पकड़ लिया।

03-गिरफ्तार अभि0गण का विवरण -

1. शिवम सिंह पुत्र जयमेंद्र सिंह मूल नि० ग्राम व पोस्ट बरहा थाना खीरो जनपद रायबरेली उम्र 30 वर्ष
2. पिन्टू यादव पुत्र स्व0 बैजनाथ यादव निवासी ग्राम बरेठी थाना देवा जनपद बाराबंकी उम्र करीब 21 वर्ष

04-अभि0 शिवम सिंह उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0129/2023 धारा 379/411 413 IPC थाना गोमती नगर विस्तार लखनऊ
2. मु0अ0सं0 26/2024 धारा 392/411 IPC थाना गाजीपुर लखनऊ
3. मु0अ0सं0 379 / 2024 धारा 304(2)/317(2) बीएस थाना आशियाना लखनऊ
4. मु0अ0सं0 728/2024 धारा 304(2)/ 317(2) BNS थाना पीजीआई लखनऊ
5. मु0अ0सं0 222/2024 धारा 504/506 IPC थाना खीरों जनपद रायबरेली
6. मु0अ0सं0 261 / 2024 धारा 354/ 504/506 आईपीसी थाना खीरों जनपद रायबरेली

05-अभि0 पिन्टू यादव उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 333/22 धारा 323/504/506 थाना देवा जनपद बाराबंकी

नोट:-अन्य अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

06-बरामदगी:-

- 01 अदद चेन पीली धातु
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल

07-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 350/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गाजीपुर लखनऊ

08-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

थाना गाजीपुर की पुलिस टीम का विवरण	पूर्वी जोन की क्राइम टीम का विवरण
1. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार,	1. उ0नि0 श्री अमरनाथ चौरसिया
2. उ0नि0 श्री राजमणि यादव,	2. हे0का0 संदीप पाण्डेय
3. उ0नि0 श्री मनोज कुमार,	3. हे0का0 अमित कुमार
4. हे0का0 अशोक कुमार यादव,	4. का0 तरनजीत सिंह
5. हे0का0 बालकुश यादव,	5. का0 शिवानन्द खरवार
6. का0 आमिर,	6. का0 प्रदीप कुमार
7. का0 रोहित कुमार वर्मा	7. का0 विमल चन्द्र

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2709
दिनांक 17.11.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 07.10.2023 को वादी श्री अरुण कुमार सरकार पुत्र स्व अमरेन्द्र मोहन सरकार निवासी एसआरए 126 वी शिप्रा रिवेरिया जान खण्ड 3 इन्दिरापुरम शिप्रा सनसिटी गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 590/2023 धारा-406/419/420/467/468/471/120बी/504/506 आईपीसी बावत प्रतिवादी गण द्वारा वादी के साथ धोखाधडी, व फर्जी कूटरचित दस्तावेद तैयार कर व पत्नी अंजली बी सरकार के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सम्पत्ति व रुपये, जेवरात **(कीमत लगभग 04 करोड़)** हड़प लेने व मांगने पर गाली गलौच देने व जान से मारने की धमकी देने विषयक बनाम -01-सजीव कुमार सिंह पुत्र श्री लाल साहव सिह नि0 497/93ए बाबूगंज नई बस्ती निरालानगर लखनऊ 02-अनुज प्रताप सिंह पुत्र अजय कुमार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट खीरो लालगज रायबरेली 03-चौधरी रविकान्त पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम हरई जिला बाराबंकी व अन्य नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 विजय प्रताप सिंह चौहान द्वारा की जा रही है।

दिनांक 16.11.2025.2025 को मै उ0नि0 विजय प्रताप सिह चौहान व उ0नि0 अनूप शुक्ला मय हमराह हे0का0 मुकेश कुमार द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछित चल रहे अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी की जा रही थी कि मुखविर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त संजीव कुमार सिहं पुत्र श्री लाल साहब निवासी-497/93-1 बाबूगंज नयी बस्ती थाना हसनगंज लखनऊ उपरोक्त को एमजीएस फोर्ड वर्कशाप थाना चिनहट लखऊ से दिनांक 16.11.2025 गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अमानत में खयानत का अपराध नही होना पाया गया जिससे मुकदमा उपरोक्त में धारा 406 का लोप किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा - 419/420/467/468/471/120बी/504/506 आईपीसी नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, अन्य अभियुक्तगण की जल्द गिरफ्तारी कर मा0 न्यायालय पेश किया जायेगा।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

01-संजीव कुमार सिहं पुत्र श्री लाल साहब निवासी-497/93-1 बाबूगंज नयी बस्ती थाना हसनगंज लखनऊ उम्र करीब 50 वर्ष

03- पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0-590/23 धारा 419/420/467/468/471/120बी/504/506 आईपीसी थाना गोमतीनगर लखनऊ

नोट- अभियुक्त उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 विजय प्रताप सिंह चौहान थाना गोमतीनगर लखनऊ
2. उ0नि0 अनूप कुमार शुक्ला थाना गोमतीनगर लखनऊ
3. हे0का0 मुकेश कुमार थाना गोमतीनगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2710
दिनांक-16.11.2025

जोन-मध्य/थाना-मदेयगंज

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा-376 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को आजीवन कारावास व 5000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

01 संक्षिप्त विवरण

श्रीमान पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियो पर नियंत्रण व अपराधियो को माननीय न्यायालयो मे अधिकारिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयो मे सघन पैरवी के क्रम मे श्रीमान पुलिस उपायुक्त मध्य महोदय के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त मध्य महोदय तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महानगर महोदय के निर्देशन मे एवं थानाध्यक्ष थाना मदेयगंज लखनऊ श्री अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व मे थाना स्थानीय के पैरोकार का0 8401 मोनू कुमार के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय ADJ/FTC/II लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 15.11.2025 सम्बन्धित वाद संख्या 698/24 मु0अ0सं0 111/23 धारा 376 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शिवा जोशी पुत्र पप्पू जोशी निवासी डालीगंज जोशी टोला हसनगंज लखऊ को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दण्डित व मु0 5000/- जुर्माने से दण्डित किया गया व जुर्माना अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा।

01. नाम व पता अभियुक्त / सम्बन्धित अभियोग व सजाः-

अभियुक्त शिवा जोशी पुत्र पप्पू जोशी निवासी डालीगंज जोशी टोला हसनगंज लखनऊ उम्र 22 वर्ष द्वारा वादिनी की बहन को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने का अपराध कारित किया जिसके सम्बन्ध मे मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त शिवा जोशी पुत्र पप्पू जोशी निवासी डालीगंज जोशी टोला हसनगंज लखऊ को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दण्डित व मु0 5000/- जुर्माने से दण्डित किया गया व जुर्माना अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया।

02.फैसलाः-

वाद संख्या 698/24 मु0अ0सं0 111/23 धारा 376 भादवि थाना मदेयगंज लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त शिवा जोशी पुत्र पप्पू जोशी निवासी डालीगंज जोशी टोला हसनगंज लखऊ को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दण्डित व मु0 5000/- जुर्माने से दण्डित किया गया व जुर्माना अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा।

03. पैरवीकर्ताः-

1. श्री अंजनी कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, थाना मदेयगंज, लखनऊ
2. का0 मोनू कुमार, थाना मदेयगंज, लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 17.11.2025

मिशन शक्ति 5.0

विद्यालय में मिशन शक्ति, पंपलेट वितरण के जरिए छात्राओं को सशक्त बनाने की पहल।

थाना अमीनाबाद क्षेत्रातर्गत विद्यांत डिग्री कॉलेज अमीनाबाद में मिशन शक्ति टीम द्वारा छात्राओं को पंपलेट वितरण कर किया गया जागरुक, छात्राओं एवं महिलाओं को महिला सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं साइबर जागरूकता आदि विषयों पर दी गई विस्तृत जानकारी।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत, थाना अमीनाबाद क्षेत्र के विद्यांत डिग्री कॉलेज अमीनाबाद में पंपलेट वितरित कर एक महत्वपूर्ण पहल की। इस दौरान छात्राओं को महिला सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और साइबर जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से शहर के बाजारों में शक्ति का संदेश पहुँचाकर महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मिशन शक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक ठोस पहल है। ऐसे प्रयासों से निश्चित रूप से एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज के निर्माण में मदद मिलेगी।

आयोजक-

- मिशन शक्ति प्रभारी म0उ0नि0 श्रीमती गौरव कुमारी थाना अमीनाबाद, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
- प्राधानाचार्या विद्यांत डिग्री कॉलेज अमीनाबाद लखनऊ।

प्रतिभाग-

- मिशन शक्ति प्रभारी म0उ0नि0 श्रीमती गौरव कुमारी थाना अमीनाबाद, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
- महिला आरक्षी रंजू, थाना अमीनाबाद, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
- महिला आरक्षी रीता, थाना अमीनाबाद, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
- आरक्षी अखिलेश मल्ल, थाना अमीनाबाद, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
- विद्यांत डिग्री कॉलेज अमीनाबाद में करीम 100-110 छात्राएं

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 17 नवंबर 2025 को अमीनाबाद में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला सहायता एवं सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान मिशन शक्ति प्रभारी महिला उपनिरीक्षक गौरव कुमारी व एंटी रोमियो टीम आरक्षी रंजू व महिला आरक्षी रीता ,आरक्षी अखिलेश मल्ल द्वारा अपनी टीम के साथ aminabad क्षेत्र के विद्यांत डिग्री कॉलेज अमीनाबाद में भ्रमण किया गया व अभियान के अंतर्गत उपस्थित शिक्षकगण एवं छात्राओं को महिला सुरक्षा से संबंधित सरकारी हेल्पलाइन नंबरों- 102, 108, 112, 1090, 181, 1930 इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी गई व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग से सहायता प्राप्त कर सकें,अभियान के दौरान महिलाओं को "मिशन शक्ति" अभियान के बारे में भी अवगत कराया गया, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को सुरक्षा, सहायता और अधिकारों के प्रति सजग बनाना है।साथ ही, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि यदि वे कहीं बालश्रम या किसी किशोर के साथ दुर्व्यवहार जैसी घटना देखें, तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें, जिससे पीड़ित को समय पर सहायता मिल सके।साइबर अपराध से सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई तथा छात्राओं को "गुड टच" और "बैड टच" की पहचान के बारे में भी शिक्षित किया गया। उन्हें आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के महत्व पर प्रेरित किया गया।

महत्वपूर्ण पहलू:

- **महिला सशक्तिकरण को मिल रही नई दिशा**

  यह महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रभावी माध्यम है।
- **सुरक्षित समाज की नींव**

  ऐसे अभियान महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने में एक मजबूत ढाल का काम करते हैं।
- **संवेदनशील नागरिक तैयार करने का प्रयास**

  यह पहल न केवल महिलाओं बल्कि पूरे समाज को संवेदनशील और जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देती है।
- **सामूहिक जिम्मेदारी की भावना**

  मिशन शक्ति यह संदेश देता है कि महिला सुरक्षा और सम्मान सभी की साझा जिम्मेदारी है।

उद्देश्य-

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका, उसके उद्देश्यों तथा वहाँ उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं एवं बच्चियों के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करते हैं, जहाँ से वे आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता, परामर्श एवं सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं।

एंटी रोमियो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने तथा इस संबंध में कानूनी प्रावधानों की जानकारी साझा की गई। साथ ही, डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर भी प्रकाश डाला गया।